न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 120/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. विनोद सिरवी पुत्र नथाराम जाति सीरवी निवासी— बिलावास, तहसील सोजत जिला— पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि— धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 12/10/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बिलावास, पटवार हल्का बिलावास में वादी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें मार्क ए वर्तमान खाता नम्बर 925 व पुराना खाता नम्बर 06 के खसरा संख्या 3820, 3821, 3842, 4222, 4223 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.2300 हैक्टर और मार्क बी के वर्तमान खाता संख्या 926 व पुराना 889 के खसरा नम्बर 4218, 4219, 4320, 4221 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.0600 हैक्टर और मार्क सी के वर्तमान खाता संख्या 927 व पुराना 890 के खसरा नंबर 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 400, 1401, 1402 कुल खसरा 08 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर और मार्क डी के वर्तमान खाता संख्या 928 व पुराना 891 के खसरा नम्बर 1338, 326, 3405, 3839, 3841, 3848 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर की भूमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि में वादी का अन्य सह खातेदारान के साथ ही संयुक्त हक हिस्सा दर्जसुदा है। बी में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 01/32 हक हिस्सा सी में वादी का 01/32 हिस्सा, डी में वादी का 01/08 हक हिस्सा खातेदारी का दर्जसुदा है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिस पर वादी अपने बंट व हक हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी रोक टोक एवं बाधा के शान्तिर्पूक काबिज चला आ रहा है। वादी को बाल्यकाल में वोराराम के नाम से जाना एंव पहचाना जाता है। भुराराम पुत्र रामाराम का स्वर्गावस होने के बाद उनके स्थान पर नामान्तरण दर्ज किया गया, उस समय वादी का नाम बोराराम के नाम से दर्ज कर दिया गया था। उस समय वादी को वोराराम के नाम से ही जाना पहचाना जाता था। जिस वजह से उक्त कृषि भूमि नामान्तरण दर्ज करते समय वोराराम के नाम से इन्द्राज किया गया जो वर्तमान में वोराराम के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा स्थित है। वादी ने वर्ष 2012 में अपना नाम वोराराम के स्थान पर विनोद सीरवी नियमानुसार परिवर्तित करवाया है तथा वर्तमान में वादी के सभी दस्तावेज पेनकार्ड, आधारकार्ड, सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालय में विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से है। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वर्ष 2008 में नामान्तकरण दर्ज होने की वजह से वोराराम पुत्र नाथाराम के नाम से दर्ज किया हुआ है। लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजात में एवं बैंक खातों में विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से है, जिससे वादी को अपनी उक्त कृषि भूमि पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि से वंचित होना पड रहा है। वादी अपनी उक्त कृषि भूमि पर केसीसी ऋण भी नहीं ले पा रहा हे। वादी ने नियमानुसार अपना नाम परिवर्तित करा दिया है, जिसके आधार पर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि में वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से खातेदारी दर्ज करावने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाना कानुनन

उपखण्ड अधिकारी

आश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद पत्र पेश कर सरहद मौजा बिलावास, पटवार हल्का बिलावास में वादी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि जिसमें ए वर्तमान खाता नम्बर 925 व पुराना खाता नम्बर 06 के खसरा संख्या 3820, 3821, 3842, 4222, 4223 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.2300 हैक्टर और बी के वर्तमान खाता संख्या 926 व पुराना 889 के खसरा नम्बर 4218, 4219, 4320, 4221 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.0600 हैक्टर और सी के वर्तमान खाता संख्या 927 व पुराना 890 के खसरा नंबर 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 400, 1401, 1402 कुल खसरा 08 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर और डी केवर्तमान खाता संख्या 928 व पुराना 891 के खसरा नम्बर 1338, 326, 3405, 3839, 3841, 3848 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर की भूमि में दर्ज खातेदार वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी की ओर से दिनांक 12.09.2022 को जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बिलावास तहसील सोजत में आई हुई स्थित है। पैरा संख्या दो में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं माननीय न्यायालय में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर सिद्ध करे। पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या चार में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं माननीय न्यायालय में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर सिद्ध करे। पैरा संख्या 05 से लगायत 08 न्यायिक प्रक्रिया होना अंकित किया है। जबाब दावा मे कोई प्रतिकारात्मक तथ्य अंकित नही होने से तनकीयात पृथक से कायम नही की गई।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी पेश की। वादी द्वारा स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया तथा उस बयान पीडल्यू 01 कलमबद्ध करवाये गये। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–1 है, जमाबन्दी खाता सख्या 928 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–2 है, जमाबन्दी खाता संख्या 927 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 है, खाता संख्या 926 की प्रमाणित प्रति0 प्रदर्श–4 है, नामान्तरकरण संख्या 1458, 1459 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5 व 6 है, जिन्है प्रदर्शित करवाया गया, जिरह प्रतिवादी शून्य रही। वादी ने नाम परिवर्तन करवाया जिस गजट नोटिफीकेशन में प्रस्तुत शपथ पत्र व अखबार की छाया प्रति पेश की है जो सामिल पत्रावली है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा बिलावास, पटवार हल्का बिलावास में वादी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि जिसमें ए वर्तमान खाता नम्बर 925 व पुराना खाता नम्बर 06 के खसरा संख्या 3820, 3821, 3842, 4222, 4223 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.2300 हैक्टर और बी के वर्तमान खाता संख्या 926 व पुराना 889 के खसरा नम्बर 4218, 4219, 4320, 4221 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.0600 हैक्टर और सी के वर्तमान खाता संख्या 927 व पुराना 890 के खसरा नंबर 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 400, 1401, 1402 कुल खसरा 08 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर और डी के वर्तमान खाता संख्या 928 व पुराना 891 के खसरा नम्बर 1338, 326, 3405, 3839, 3841, 3848 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर की भूमि में दर्ज खातेदार वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने की ईस्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात तथा गवाह के बयानों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता द्वारा अपना सही एवं वास्तविक नाम विनोद सिरवी होने से संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड/ परिवार कार्ड पेश

उपखण्ड अधिकारी

किये है। इसके अतिरिक्त वादी ने वर्ष 2012 में अपना नाम वोराराम के स्थान पर विनोद सीरवी नियमानुसार परिवर्तित करवाया है तथा वर्तमान में वादी के सभी दस्तावेज पेनकार्ड, आधारकार्ड, सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालय में विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से होने की पुष्टि होती है। लिहाजा सरहद मौजा बिलावास, पटवार हल्का बिलावास में वादी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि जिसमें ए वर्तमान खाता नम्बर 925 व पुराना खाता नम्बर 06 के खसरा संख्या 3820, 3821, 3842, 4222, 4223 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.2300 हैक्टर और बी के वर्तमान खाता संख्या 926 व पुराना 889 के खसरा नम्बर 4218, 4219, 4320, 4221 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.0600 हैक्टर और सी के वर्तमान खाता संख्या 927 व पुराना 890 के खसरा नंबर 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 400, 1401, 1402 कुल खसरा 08 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर और डी के वर्तमान खाता संख्या 928 व पुराना 891 के खसरा नम्बर 1338, 326, 3405, 3839, 3841, 3848 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर की भूमि में दर्ज खातेदार वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बिलावास, पटवार हल्का बिलावास में वादी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि जिसमें ए वर्तमान खाता नम्बर 925 व पुराना खाता नम्बर 06 के खसरा संख्या 3820, 3821, 3842, 4222, 4223 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.2300 हैक्टर और बी के वर्तमान खाता संख्या 926 व पुराना 889 के खसरा नम्बर 4218, 4219, 4320, 4221 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.0600 हैक्टर और सी के वर्तमान खाता संख्या 927 व पुराना 890 के खसरा नंबर 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 400, 1401, 1402 कुल खसरा 08 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर और डी के वर्तमान खाता संख्या 928 व पुराना 891 के खसरा नम्बर 1338, 326, 3405, 3839, 3841, 3848 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर की भूमि में दर्ज खातेदार वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर उक्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वोराराम पुत्र नथाराम के स्थान पर विनोद सीरवी पुत्र नथाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)